

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8013/2022 अजय कुमार मीना बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2022 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राजमावि आकोली चितलवाना, जिला जालौर में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी का गृह जिला कोटा है। पारिवारिक परिस्थितियों एवं दूरस्थ कार्यरत होने के कारण याचिकार्थी को अपनी सेवा देने में कई परेशानियां हो रही हैं। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर जालौर जिले (पाली मण्डल) से कोटा जिले (कोटा मण्डल) के राजमावि छोटी महारानी रामपुरा, कोटा अथवा राजमावि विज्ञान नगर, कोटा में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल कैंडर का होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का मण्डल स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल में स्थानान्तरण कर मण्डल परिवर्तन किये जाने से मण्डल में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है।

अतः याचिकार्थी द्वारा जालौर जिले (पाली मण्डल) से कोटा जिला (कोटा मण्डल) में रिक्त पद पर स्थानान्तरण करने की मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नीति के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाये जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 02/08/22

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/12867/2022

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जालौर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को उनके अ.टि दिनांक: 25.07.22 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. याचिकार्थी अजय कुमार मीना, व.अ., रा.उ.मा.वि आकोली, चितलवाना, जिला जालौर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)